संख्या-39/2023/1473ई-2/तेरह-2023-498830

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 20 अक्टूबर, 2023

विषय- **मेसर्स सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, आसवनी बरेली में स्थापित 60 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 210 लाख लीटर वार्षिक क्षमता के ग्रेन प्लान्ट की पूर्व में निर्धारित पेय क्षमता एवं औद्योगिक क्षमता को संशोधित करते हुए आसवनी के ग्रेन प्लान्ट के पेय क्षमता 25 प्रतिशत अर्थात् 52.5 लाख ली. वार्षिक तथा शेष 75 प्रतिशत अर्थात् 157.5 लाख ली. वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने के संबंध में**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-97/दो-प्रा.डी.-3/सुपीरियर/बरेली, दिनांक 03-10-2023 तथा प्रकरण में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 11-10-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:1436ई-2/तेरह-2023-498830, दिनांक 12-10-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03-10-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में शासनादेश दिनांक 28-04-2023 द्वारा मेसर्स सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि. बरेली में स्थापित 60 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन प्लान्ट से उत्पादित ग्रेन स्प्रिट को 50 प्रतिशत पेय प्रयोजन हेतु तथा शेष 50 प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्धारित किये जाने की कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी अनुमति में संशोधन करते हुये मेसर्स सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि. बरेली में स्थापित 60 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 210 लाख लीटर वार्षिक क्षमता के ग्रेन प्लान्ट से उत्पादित ग्रेन स्प्रिट को 25 प्रतिशत अर्थात् 52.5 लाख ली. वार्षिक पेय प्रयोजन हेतु तथा शेष 75 प्रतिशत अर्थात् 157.5 लाख ली. वार्षिक औद्योगिक प्रयोजन (एथनॉल, एस.डी.एस., रेक्टिफाइड स्प्रिट) हेतु निर्धारित किये जाने की अनुमति शासनादेश दिनांक 28-04-2023 एवं 09-03-2023 में लगायी गयी अन्य शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन।
(8) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।